# न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी सं. 32/2024

जगमेल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी चक ढ़ाणी चक 47 एसएसडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत बहलोलनगर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बहलोलनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बहलोलनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध आदेश/नोटिस क्रमांक पंचायत/अतिक्रमण/220 दिनांक 20.12.2024 द्वारा जारी, को निरस्त फरमाने बाबत

उपस्थितः— 1. श्री राजेशदीप राय अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री खुशप्रीत सिंह अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 ता 02

—:निर्णयः—

दिनांकः—31.01.2025

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/निगरानीदार की ओर से इस प्रकार है कि अप्रार्थी/गैरनिगरानी प्रार्थी व प्रार्थीगण के पुत्रगण हरदीप सिंह व रणवीर सिंह की तहसील पीलीबंगा के चक 47 एससडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 67/325 के किला नम्बर 17, 24, 25 पत्थर नम्बर 68/325 के किला नम्बर 12, 19, 20, 21, 22 व पत्थर नम्बर 69/325 के किला नम्बर 12, 19, 20, 21, 22 कुल 13 बीघा कृषि भूमि है। प्रार्थी के पिता महेन्द्र सिंह ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सन् 1980 में खरीद की थी। उपरोक्त कृषि भूमि के चिपते ही चक 44 एसएसडब्ल्यू ग्राम पंचायत बहलोलनगर की आबादी भूमि है। प्रार्थी ने उपरोक्त कृषि भूमि के चिपते गली जगमेल सिहं आम की भूमि को छोड़कर 120 गुणा 160 फुट सन् 1980 में ही कब्जा कर चारदीवारी कर ली व इसे नोहरे के रूप में उपयोग व उपभोग करने लगा तथा जिसका आसा पासा उत्तर में 120 फुट गली आम, दक्षिण में 160 फुट महेन्द्र सिंह का भूखण्ड वर्तमान में हरदीप सिंह वगैरा, पूर्व में 160 फुट गली आम, पश्चिम में 120 फुट गली आम है। प्रार्थी के उपरोक्त भूखण्ड के दक्षिण की ओर प्रार्थी के पिता महेन्द्र सिंह ने सन् 1980 में 225 गुणा 160 फुट पर कब्जा कर व निर्माण कर चार दीवारी कर उपयोग उपभोग करने लगा। उपरोक्त भूखण्ड का आसा पासा उत्तर में 160 प्रार्थी का भूखण्ड, दक्षिण में 160 फुट गली आम, पूर्व में 225 फुट गली आम पश्चिम में 225 फुट गली आम है। प्रार्थी के पिता महेन्द्र सिंह ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूखण्ड में से दक्षिणी पश्चिमी ओर 75 गुणा 100 फुट को आदराम को विक्रय कर दिया था जो आदराम से विक्रय होता हुआ वर्तमान में [illegible]राम पूनियां के आधिपत्य व धारणा में है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने के पश्चात शेष भूखण्ड प्रार्थी के दोनों पुत्रों रणवीर सिंह व हरदीप सिंह के आधिपत्य व धारण में है। प्रार्थी के भूखण्ड पर निर्मित चारदीवारी अत्यधिक पुरानी व कच्ची होने के कारण क्षतिग्रस्त होकर गिर गई प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.12 17:31:01 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

(5)

ने उसके स्थान पर चारदीवारी का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा प्रार्थी के भूखण्ड में पुराना निर्मितशुदा है जो कि कच्चा व अत्यधिक पुराना होने के कारण गिर गया है प्रार्थी अपने उपरोक्त भूखण्ड में पुराने निर्माण के स्थान पर नवनिर्माण कर रहा है। प्रार्थी जो कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर है तथा अप्रार्थी संख्या–1 वर्तमान सरपंच कांग्रेस पार्टी का नेता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में प्रार्थी ने कांग्रेस पार्टी का विरोध किया था जिसको लेकर अप्रार्थी संख्या–1 प्रार्थी से राजनीतिक द्वेषता रखता है। प्रार्थी द्वारा अपने पुराने निमिर्तिशुदा स्थान पर किये जा रहे नवनिर्माण को रोकने के लिए अप्रार्थी संख्या–1 ने दिनांक 20.12.2024 को नोटिस कमांक पंचायत/अतिक्रमण/220 दिनांक 20.12.2024 प्रेषित कर उक्त निर्माण को रोकने के आदेश दिये हैं। प्रार्थी निम्नलिखित आधारों पर नोटिस दिनांक 20.12.2024 को निरस्त करवाने का अधिकारी है–आक्षेपित नोटिस/आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। आक्षेपित आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्रों का पुराना आधिपत्य व धारण है तथा प्रार्थी व उसके पुत्रों ने अपने अपने कब्जा के भूखण्डों को नियमन करने हेतु अर्सा चार वर्ष पूर्व प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर रखा है, लेकिन ग्राम पंचायत ने उक्त प्रार्थना पत्र का कोई निस्तारण नहीं किया तथा उक्त नोटिस मिथ्या आधारों पर प्रेषित कर दिया जबकि धारा 157 राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी व उसके पुत्र अपने आधिपत्य व धारण के भूखण्डों का नियमन करवाने के अधिकारी हैं। आक्षेपित नोटिस प्रेषित करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने कोई प्रस्ताव नहीं लिया तथा ना ही मौके की कोई रिपोर्ट ली। आक्षेपित नोटिस में भूखण्ड की पहचान के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं है। आक्षेपित नोटिस में अतिक्रमण के साईज के सम्बंध में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। आक्षेपित नोटिस भ्रामक है जो अपास्त होने योग्य है। आक्षेपित नोटिस में एकपक्षीय रूप से स्थगन जारी किया गया है जो कतई गलत व विधि विरूद्ध है। उक्त कार्यवाही किस आधार पर की गई, इस सम्बंध में भी कोई उल्लेख नहीं है। प्रश्नगत भूखण्ड का मौका निरीक्षण नहीं किया गया। आक्षेपित नोटिस में सुनवाई की तारीख जानबूझकर अंकित नहीं की। आक्षेपित नोटिस में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 165 (3) को गलत रूप से परिभाषित कर नोटिस दिया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रार्थी व उसके पुत्रों का अर्सा दराज से कब्जा चला आ रहा है प्रार्थी के उक्त भूखण्ड नियमन योग्य है। प्रश्नगत भूखण्ड किसी गली आम अथवा सार्वजनिक स्थल का भाग नहीं है तथा ना ही प्रार्थी का कब्जा किसी गली आम व सार्वजनिक स्थल पर है बल्कि आबादी भूमि पर है जिसका नियमन प्रार्थी करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण आक्षेपित नोटिस की आड़ में प्रार्थी द्वारा किये जा रहे निर्माण को रोकने, प्रार्थी के आधिपत्य व धारण के भूखण्ड में बेजा दखलंदाजी करने को आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपने इस अवैध व अनुचित मकसद में कामयाम हो गये तो प्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी। उक्त परिस्थितियों में अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा आक्षेपित नोटिस क्रमांक पंचायत/अतिक्रमण/220 दिनांक 20.12.2024 के प्रभाव व क्रियान्वयन को ताफैसला निगरानी [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जानी आवश्यक है कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूखण्ड में प्रार्थी द्वारा करवाये जा रहे निर्माण में किसी प्रकार की बाधा कारित करने, प्रार्थी के निर्माण को रोकने व उक्त भूखण्डों में प्रार्थी के आधिपत्य व धारण में किसी प्रकार की दखलंदाजी करने से निषिद्ध रहे। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा पारित आक्षेपित कमांक पंचायत/अतिक्रमण/220 दिनांक 20.12.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.12 17:31:01 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

(6)

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गयी। अप्रार्थीयान जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये अप्रार्थीगण द्वारा पारित आक्षेपित कमांक पंचायत/अतिक्रमण/220 दिनांक 20.12.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 ता 02 ने अपनी बहस में कथन किये कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि पूर्वक रूप से दिनांक 05.12.2024 को प्रस्ताव लेकर तीन पंच की कमेटी गठित कर अतिक्रमण बाबत सर्वे रिपोर्ट आने उपरान्त अतिक्रमण होना प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण को रोकने बाबत तथा स्वामित्व/निर्माण से सम्बन्धित दस्तावेज इत्यादि व अपना जवाब दावा प्रस्तुत करने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा विधिपूर्वक रूप से नोटिस प्रेषित किया है। प्रार्थी द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के स्थान पर नियमन हेतु किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा ना ही कानुनन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि की जगह का नियमन किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने विभिन्न सरकारी कार्यालयों हेतु आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का प्रयास किया जा रहा था। जांच कमेटी द्वारा सर्वे उपरान्त अतिक्रमण घोषित किया व प्रार्थी एवं अन्य को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देते हुए कार्यवाही करने एवं वैध दस्तावेज के अभाव में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने की अभिशंषा के साथ रिपोर्ट प्रेषित की जिसके उपरान्त दिनांक 20.12.2024 को जरिये क्रमांक 220 प्रार्थी को नोटिस प्रेषित किया इसलिए प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना नोटिस दिनांक 20.12.2024 प्रेषित करने के तथ्य झूठे व निराधार साबित होते है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को सुनवाई करने हेतु तथा अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु विधि सम्मत रूप से नोटिस प्रेषित किया था। पंचायत द्वारा दिये गये नोटिस के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी पोषणीय नहीं है, अगर पंचायत द्वारा दिये गये नोटिस के विरूद्ध प्रार्थी कोई कार्यवाही करना चाहता है तो प्रार्थी धारा 61 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पंचायत समिति के समक्ष कार्यवाही करनी चाहिए थी। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस के समर्थन में 1. 2022(1)DNJ(sc)302 2. high court bench at jaipur writ ptition 10819/2018 jagdish prasad meena & others vs state fo rajasthna & others order date 30-01-2019 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. ग्राम पंचायत बहलोलनगर पंचायत समिति हनुमानगढ के आदेश कमांक पंचायत/अतिक्रमण/220 दिनांक 20.12.2024 में निगराकर्ता को सुनवाई की तारीख खाली रखते हुए नोटिस जारी किया गया है। जिससे सिद्ध है निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया, इस कारण विधि द्वारा प्रतिपादित नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तो की पालना नही होने के कारण प्रश्नगत आदेश विधिसम्मत नहीं है।
2. ग्राम पंचायत बहलोलनगर पंचायत समिति हनुमानगढ के आदेश कमांक पंचायत/अतिक्रमण/220 दिनांक 20.12.2024 में [illegible] पर आसा–पासा अंकित नही किये है।
3. पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2011 ग्राम पचांयत बहलोनगर को नियमन करवाने हेतु पेश किया हुआ है। जिस पर हुई कार्यवाही से ग्राम पचांयत द्वारा अवगत नही करवाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.12 17:31:01 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

(7)

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रश्नगत आदेश वाके ग्राम पंचायत बहलोलगनर पंचायत समिति हनुमानगढ़ द्वारा जारी आदेश क्रमांक पंचायत/ अतिक्रमण/220 दिनांक 20.12.2024 को निरस्त किया जाता है। समस्त पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण ग्राम पचांयत बहलोलनगर को प्रतिप्रेषित (Remand ) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.12 17:31:01 IST
Reason: SelfAttested